नगर निगम रोहतक की दिनांक 19.02.2014 को हुई सामान्य बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट

आज दिनांक 19.02.2014 को सांय 03:00 बजे बैठक हाल, प्रथम तल, जिला विकास भवन, रोहतक में श्रीमती रेनू, मेयर, नगर निगम रोहतक की अध्यक्षता में नगर निगम की सामान्य बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. श्री राजबीर, सदस्य वार्ड नं0-1, नगर निगम, रोहतक।
2. श्रीमती ममता रानी, सदस्य वार्ड नं0-2, नगर निगम, रोहतक।
3. श्रीमती सुशीला इंदौरा, सदस्य वार्ड नं0-3, नगर निगम, रोहतक।
4. श्री सूरजमल, सदस्य वार्ड नं0-5, नगर निगम, रोहतक।
5. श्रीमती मंजू, सदस्य वार्ड नं0-6 एवं वरिष्ठ उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक।
6. श्रीमती सरिता, सदस्य वार्ड नं0-7, नगर निगम, रोहतक।
7. श्रीमती उपासना देवी, सदस्य वार्ड नं0-8, नगर निगम, रोहतक।
8. श्री बलराज सिंह, सदस्य वार्ड नं0-9, नगर निगम, रोहतक।
9. श्री अशोक कुमार, सदस्य वार्ड नं0-10, नगर निगम, रोहतक।
10. श्रीमती अनिता मिगलानी, सदस्य वार्ड नं0-11, नगर निगम, रोहतक।
11. श्री गुलशन ईशपुनियानी, सदस्य वार्ड नं0-12, नगर निगम, रोहतक।
12. श्री संजय, सदस्य वार्ड नं0-13, नगर निगम, रोहतक।
13. श्रीमती नीरा, सदस्य वार्ड नं0-14, नगर निगम, रोहतक।
14. श्री अजय कुमार जैन, सदस्य वार्ड नं0-15, नगर निगम, रोहतक।
15. श्री अशोक कुमार, सदस्य वार्ड नं0-16 एवं उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक।
16. श्रीमती पूनम, सदस्य वार्ड नं0-18, नगर निगम, रोहतक।
17. श्री अनिल, सदस्य वार्ड नं0-19, नगर निगम, रोहतक।
18. श्रीमती लक्ष्मी, सदस्य वार्ड नं0-20, नगर निगम, रोहतक।

सर्वप्रथम मेयर नगर निगम द्वारा सभी उपस्थित पार्षदों, आयुक्त नगर निगम रोहतक तथा नगर निगम अधिकारियों/कर्मचारियों का बैठक में भाग लेने पर स्वागत किया। बैठक में एजेंडा पर चर्चा करने से पूर्व सभी उपस्थित पार्षदों द्वारा प्रस्तावना दी कि उनके वार्ड के एक या दो प्रमुख व्यक्तियों/ प्रेस/मीडिया से सम्बन्धित पत्रकारों तथा छायाकारों को नगर निगम की बैठक में हाजिर रहने की स्वीकृति दी जाये। इस प्रस्ताव को सभी उपस्थित पार्षदों ने सर्वसम्मति से पारित किया। इसके उपरांत इन सभी को नगर निगम की बैठक में उपस्थित रहने की स्वीकृति दी गई। तत्पश्चात पार्षदों द्वारा एजेंडा मे वर्णित मदों पर क्रमवार चर्चा करके निम्नलिखित निर्णय लिये गये:-

मद संख्या	एजेंडा	निर्णय
1.	पूर्व में 11.11.2013 को हुई सामान्य मिटिंग के एजेंडे में लिखित बिन्दुओं पर हुई कार्यवाही की पुष्टि करने के पश्चात ही इस एजेंडे पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करे।	दिनांक 11.11.2013 को हुई सामान्य बैठक की कार्यवाही रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट की प्रति सभी पार्षदों को उपलब्ध करवाई गई। इस रिपोर्ट को उपनिगम आयुक्त द्वारा सदन में पढकर सुनाया गया। इसके उपरान्त सदन द्वारा दिनांक 11.11.2013 को हुई बैठक की पुष्टि की गई।
2.	नगर निगम में सफाई व्यवस्था को सुधारने के लिए प्रत्येक वार्ड में जो अलग से सफाई कर्मचारी नियुक्त किये गए थे, उनकी नियुक्ति के उपरांत सफाई व्यवस्था में बहुत ज्यादा सुधार हो गया था, इसलिए उनको दोबारा से नियुक्त किया जाये जिससे सफाई व्यवस्था निरंतर ठीक रहे।	आयुक्त महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि सरकार से नये पदों की स्वीकृति आने उपरांत सभी वार्डो में आवश्यकतानुसार जनसंख्या एवं भवनों के अनुपात में समुचित संख्या में सफाई कर्मचारी उपलब्ध करवाये जायेगें। यह स्वीकृति फरवरी माह में ही आनी संभावित है।
3.	नगर निगम रोहतक के अंदर प्रमुख चौराहों पर सीसी-टीवी कैमरे लगवाये जाये व हर वार्ड में पार्षद द्वारा चिन्हित मुख्य चौराहों पर हाईमास्क लाईटें लगवाई जाये।	1) कार्यकारी अभियंता-I ने बताया कि चिन्हित स्थानो पर सी0सी0टी0वी0 कैमरें लगाने की प्रक्रिया अमल में लाई जा चुकी है। यह कार्य जल्द ही आरम्भ कर दिया जायेगा। 2) यह निर्णय लिया गया कि दोनों कार्यकारी अभियंता वार्ड पार्षद द्वारा चिन्हित स्थलों का निरीक्षण उपरांत आयुक्त महोद्य से स्वीकृति लेकर हाईमास्ट लाईट्स लगवाएं।
4.	नगर निगम रोहतक द्वारा हर वार्ड में निगम की जगह पर पार्षद की इच्छा अनुसार जनहित में पार्क, क़म्युनिटी सेंटर, प्राईमरी स्कूल, खेल नर्सरी या स्टेडियम इत्यादि का निर्माण करवाया जाये।	यह निर्णय लिया गया कि दोनों कार्यकारी अभियंता वार्ड पार्षद द्वारा चिन्हित स्थलों का निरीक्षण उपरांत आयुक्त महोद्य से स्वीकृति लेकर संबधित कार्य करवाएं।
5.	सभी पार्षदों ने अपनी सिटीजन पार्टिसिपेशन एक्ट 2009 के तहत अपनी सोसाइटी रजिस्टर्ड करवा ली है, उसके खाते में 20 लाख रूपये डलवाए जाये जिससे जनहित में अतिशीघ्र करवाए जाने वाले कार्य जैसे:- टूटी हुई पुलिया, टूटी हुई सड़क, टूटी हुई नालियां व विभिन्न प्रकार के रिपेयर कार्य इत्यादि तुरंत प्रभाव से करवाये जा सके।	पार्षदा वार्ड नं0 14 द्वारा जनहित समिति वार्ड 14 पंजीकृत करवाकर बैंक खाते की सूचना दे दी गई है। इस समिति को स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा यह भी पारित किया जाता है कि सदन से अनुमोदित वार्ड समितियों के खाते में सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता की अनुशंसा उपरांत वरिष्ठ लेखा अधिकारी द्वारा प्रथम चरण में एक लाख रूपये की राशि जमा करवाई जायेगी। इसके खर्च उपरान्त समिति द्वारा प्रयोगात्मक प्रमाण पत्र देने के बाद ही आगामी राशी खातें में जमा करवाई जायेगी। इसके अतिरिक्त समितियों के पंजीकरण पर जमा की जाने वाली 2700/- रूपये की राशी प्रत्येक समिति को नगर निगम कोष से वापस कर दी जाये।
6.	संजय कॉलोनी में बने कुष्ठ आश्रम को कॉलोनी से बाहर शिफ्ट करके आश्रम की लगभग तीन एकड़ जमीन पर जनहित में पार्क,कम्युनिटी सेंटर,प्राइमरी स्कूल, खेल नर्सरी या स्टेडियम इत्यादि का	सदन की आगामी बैठक में रखा जाये। नायब तहसीलदार राजस्व रिकार्ड अनुसार मलकियत बारे रिपोर्ट देगा।

	निर्माण करवाया जाये।	
7.	नगर निगम रोहतक की जमीन जो बोहर गाँव में उपलब्ध है, उसमें निगम के सभी पार्षदों व अधिकारियों तथा सभी ग्रुप C व ग्रुप D के कर्मचारियों को नगर निगम द्वारा प्लाट आबंटित किए जाये।	इस बारे मेयर, वरिष्ठ उपमेयर, उपमेयर की स्थल निर्धारण हेतु कमेंटी बनाई जाती है। यह समिति पार्षदों को प्लाट देने बारे हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के प्रावधानो के अनुरूप प्रस्तावना देगी। नगर निगम कर्मचरियों की श्रेणी अनुसार बहुमंजिला निवास (फ्लैट) बनाने का सुझाव दिया गया। यह समिति सदन की आगामी बैठक में सभी बिन्दुओं पर अपनी रिपोर्ट देगी।
8.	नगर निगम रोहतक में लम्बे समय से ग्रुप C व ग्रुप D के कर्मचारियों की पदोन्नति नहीं की गई है, अत: सरकार की हिदायतानुसार पदोन्नति की जाये।	नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
9.	नगर निगम रोहतक का सोनीपत स्टैंड पर जो निगम हाऊस है, उसको तुरंत प्रभाव से खाली करवाया जाये और निगम हाउस मेयर महोद्र्या को अलॉट किया जाए , विभिन्न कारणों से निगम हाउस पर लगातार कई वर्षो से प्रशासनिक अधिकारियों का अधिकार रहा है तथा उनसे आज तक कोई किराया भी नहीं वसूला गया है,अत्याधिक अधिकारी तो उसमें रहकर निगम को बिना किराया अदा करवाए ही तबादला होकर चले गए।	स्वीकृत है। केस उपायुक्त रोहतक को भेजा जाये।
10.	नगर निगम रोहतक के क्षेत्र में जितने भी राशन के डिपो आते है वहाँ पर डिपो होल्डर अपनी मनमानी चलाते है, जिससे सही तरीके से राशन का वितरण नहीं हो पाता। अत: ऐसी व्यव्स्था करवाई जाये की डिपो होल्डर को कार्य संतोषजनक का प्रमाण पत्र पार्षद दे तथा प्रमाण पत्र देने उपरांत ही डिपो में आगामी राशन भेजा जाए ताकि वार्ड में लोगों को राशन का वितरण समान रूप से करवाया जा सके।	इस सन्दर्भ में पारित किया गया कि दिनांक 31.01.2014 को आयुक्त नगर निगम की बैठक में लिये गये निर्णयों की पालना हेतू जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियन्त्रक, रोहतक को लिखा जाये। बैठक में निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:- राशन डिपो होल्डरों द्वारा दुर्वव्यवहार एवं डिपों के खुलने व बन्द करने के समय की अनिश्चतता के बारे में कोई भी शिकायत लम्बित नही है। डिपो खुलने का समय प्रात: 7:00 बजे से 12:00 बजे तक तथा सांय 5:00 बजे से रात्री 8:00 बजे तक का है। इस बारे शिकायत आने की स्थिति में उचित जांच करवाई जायेगी। खाद्य सामग्री की उपलब्धता स्थानीय पार्षद की सदस्यता वाली निगरानी कमेटी द्वारा वितरण प्रमाण पत्र देने उपरांत CONFED द्वारा करवाई जाती है। DFSC को निर्देश दिये कि D.M. CONFED तथा Dcanning Schedule की कापी स्कैन करवाकर सभी पार्षदों को ई-मेल की जायेगी। सभी पार्षदों की Gmail पर एक Group मेल तैयार करवाकर उसका Password सम्बन्धित पार्षद को उपलब्ध करवाये जा चुके है। नये राशन कार्ड सरकार की हिदायतों अनुसार बनाये जाते है। यह कार्य शहर में पांच ए0एफ0एस0ओ0 द्वारा किया जा रहा है। इस सबंध में पार्षदों की शिकायत हेतु प्रत्येक ए0एफ0एस0ओ0 कार्यालय में शिकायत रजिस्टर रखा जायेगा तथा जिसे समय-2 पर अपडेट भी किया जायेगा। इस समय केवल स्थानान्तरण एवं परिवार विभाजन की अवस्था में ही नये राशन कार्ड बनाए जा रहे है। सभी ए0एफ0एस0ओ0 अपने कार्यालयों में समुचित मात्रा में राशन कार्ड फार्म की उपलब्धता रखना सुनिश्चित करेंगे।

11.	नगर निगम रोहतक में पार्षदों को कैम्प कार्यालय खोलने की अनुमति स्वीकार की गई थी, लेकिन कई पार्षदों के वार्ड में जगह उपलब्ध न होने की दशा में उनको किराये पर कैम्प कार्यालय खोलने की अनुमति दी जाये, जिसका मासिक किराया नगर निगम वहन करे तथा समय पर अदा करे|	पार्षद द्वारा वार्ड कार्यालय हेतु नगर निगम की भूमि/भवन अथवा सरकारी भवन का विवरण उपलब्ध करवाया जायें। किसी वार्ड में उपयुक्त स्थान ना होने की अवस्था में वार्ड कार्यालय हेतु किराये पर भवन लेने के लिये केस सरकार को स्वीकृति हेतु भेज दिया जाये। जनहित में वार्ड निवासियों की सुविधा हेतू पार्षद द्वारा उपलब्ध करवाये गये भवनों में तुरन्त प्रभाव से नगर निगम फंड से फर्नीचर उपलब्ध करवाये जाएं व वार्ड कार्यालय स्थापित किये जाये। मेयर, वरिष्ठ उपमेयर, उपमेयर,लेखा अधिकारी तथा श्री जगदीश एम.ई., नगर निगम की समिति गठित की जाती है। यह समिति प्रत्येक वार्ड कार्यालय हेतू एक लाख रूपये की राशी का फर्नीचर खरीद करेगी। इसके अतिरिक्त सदन द्वारा सर्वसम्मति से यह भी पारित किया गया कि प्रत्येक पार्षद को लैपटाप, प्रिन्टर आदि नगर निगम फण्ड से उपलब्ध करवाया जाये। इस बारे सरकार को केस स्वीकृति हेतु भेज दिया जायें।
12.	सभी पार्षदों को यह पूर्ण अधिकार है कि वो एजेंडे में लिखित इन बिन्दुओं से अलग जनहित से सम्बंधित बिंदु मेयर महोदया की अनुमति से इस एजेंडे में रख सकते है|	इस बारें सभी एजेण्डा बिन्दुओ पर विचार विमर्श होने उपरान्त वार्ड वाईज विस्तृत चर्चा की जायें।
<u>अतिरिक्त एजेंडा</u>		
13.	F&CC द्वारा पारित प्रस्तावों को सदन के बतौर सूचनार्थ	F&CC द्वारा पारित प्रस्तावों का विवरण निम्नलिखित है:-

Res. No.	Name of Work	Amount	Name of Division	Date
1	Const. of New Community Centre instead of repair work of MorWaliChoupal in village KheriSadh, Ward No. 8, Rohtak.	Rs. 65.00 Lacs	E.E.-I	13/11/2013
2	Revised detail estimate for providing and fixing of vibrated interlocking tiles in outer side of Double Park, Model Town, Rohtak.	Rs. 69.66 Lacs	E.E.-I	13/11/2013
3	Const. of Ambedkar Community Centre, Nehru Colony, Rohtak.	Rs. 135.00 Lacs	E.E.-II	13/11/2013
4	Upgradation of Infrastructure of New Municipal Corporation Office at Rohtak.	Rs. 66.78 Lacs	E.E.-II	13/11/2013
5	Installation of Street Lights from Red Cross Chowk to SubhashChowk Rest House to AmbedkarChowk and Court Chowk to SonepatChowk, Rohtak.	Rs. 76.00 Lacs	E.E.-II	10/12/2013
6	Providing and Fixing of New Light and Poles on Delhi Road from Rajeev Chowk to BalmikiChowk, Rohtak.	Rs. 254.89 Lacs	E.E,-I & E.E.-II	20/12/2013
7	Redevlopment of AppuGhar Lake, Rohtak.	Rs. 685.58 Lacs	E.E.-I	24/01/2014
8	Providing and Fixing of Poles, Lights and Cables in Jind Road Area from Jind Bye-Pass Drain No. 8, Rohtak.	Rs. 64.60 Lacs	E.E.-I	24/01/2014
9	Const. of metalled road in various streets in Sheetal Nagar Near Shivaji Colony Thana Jhajjar Road, Ward No. 19, Rohtak.	Rs. 81.78Lacs	XEN-II	19.02.2014
10	Const. of Big Sport Stadium at Village SunariaKalan, Khurd, Ward No. 20, Rohtak.	Rs. 175.30Lacs	XEN-II	19.02.2014

11	Construction of Community Centre in Sheetal Nagar, Vijay Nagar, Ekta Colony, Chhotu Ram Colony, Rajeev Nagar, PreetVihar, Kamla Nagar, Ward No. 18 and 19, Rohtak.	Rs. 144.75Lacs	XEN-II	19.02.2014
12	Constructing Shed, Boundary Wall and Barbed Wire Fencing around Land of ShamshanGhat in the Area of Ekta Colony, Sheetal Nagar, Vijay Nagar, Ambedkar Colony and Rajeev Nagar, Ward No. 18 & 19, Rohtak.	Rs. 82.00Lacs	XEN-II	19.02.2014
13	Construction of Roads with C.C. Pavement and sides berms with 80 mm thick interlocking vibrated tiles in Sainik Colony (Road No. 1, 3 & 4 (i),) Ward No. 16, Rohtak.	Rs. 96.26 Lacs	XEN-II	19.02.2014
14	Construction of Roads with 80mm thick interlocking vibrated tiles in Sainik Colony (Road No. 2, 4 (ii) 5, 6, 7, 8 & 9) Ward No. 16, Rohtak.	Rs. 97.23 Lacs	XEN-II	19.02.2014

14.	कशमीर में शहीद रविन्द्र कुमार के नाम पर कमला नगर, झज्जर चुंगी में गली का नाम शहीद रविन्द्र कुमार मार्ग रखने बारें।	स्वीकार है।
15.	सैन समाज, रोहतक द्वारा प्राप्त मांग पत्र अनुसार अशोका टाकिज के पास बने चौक का नाम सैन भगत चौक रखने बारे।	स्वीकार है।
16.	नगर निगम, रोहतक के महावीर पार्क में बने पुस्तकालय को किसी रजिस्टर्ड संस्था/ट्रस्ट को चलाने एवं रख-रखाव पर देने बारे।	मेयर, वरिष्ठ उपमेयर, उपमेयर, आयुक्त, सहायक नगर योजनाकार तथा क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम की समिति गठित की जाती है। इस संदर्भ में समाचार पत्रों में सार्वजनिक सूचना जारी उपरान्त आगामी कार्रवाई की जायें।
17.	राजीव गांधी आवास योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण के तहत 10 प्रतिशत राशी नगर निगम फंड से वहन करने बारें।	राजीव आवास योजना के प्रथम चरण में नगर निगम में शामिल आठ गांवों (स्लम) हेतु 95.89 करोड़ का प्रोजेक्ट स्वीकृत हो चुका है। इसमें 75 प्रतिशत भारत सरकार, 15 प्रतिशत राज्य सरकार व 10 प्रतिशत राशी नगर निगम द्वारा वहन की ज़ानी है। इस प्रयोजना के अर्न्तगत केवल मकानों के निर्माण हेतु 10 प्रतिशत राशि लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन की जानी है। इसके अतिरिक्त इसके द्वितीय चरण में रोहतक शहर की प्रस्तावित 63 स्लम कालोनियों में से 51 कालोनियों हेतु 94.73 करोड़ का प्रोजेक्ट सरकार को भेजा जा चुका है। इसमें भी 75 प्रतिशत भारत सरकार, 15 प्रतिशत राज्य सरकार व 10 प्रतिशत नगरनिगम द्वारा वहन किया जाना है। इस प्रयोजना में भी केवल मकानों के निर्माण हेतु 10 प्रतिशत राशि लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन की जानी है। सर्वसम्मति से स्लम कालोनियों की सूचि व दोनो प्रोजैक्टों की सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। राजीव गांधी आवास योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण को लागू करने तथा 10 प्रतिशत राशी नगर निगम फंड से वहन करने की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है।
18.	लघु एवं मंझले कस्बो के लिए शहरी बुनियाद ढंचा विकास योजना (UIDSSMT) के तहत 10 प्रतिशत राशी नगर निगम फंड से वहन करने बारें।	लघु एवं मंझले कस्बो के लिए शहरी बुनियाद ढंचा विकास योजना (UIDSSMT) में 4671.67 लाख रू0 का सड़कों, 3116 लाख का वाटर सप्लाई व 6444 लाख रू0 का प्रोजेक्ट भारत सरकार के पास स्वीकृति हेतु भेजा जा चुका है। इसमें 80 प्रतिशत भारत सरकार, 10 प्रतिशत राज्य सरकार व 10 प्रतिशत ULB द्वारा दिया जाना है। लघु एवं मंझले कस्बो के लिए शहरी बुनियाद ढंचा विकास योजना (UIDSSMT) को लागू करने तथा 10 प्रतिशत राशी नगर निगम फंड से वहन करने की सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

19. अनाधिकृत कालोनियों का सर्वे करवाने बारे।

सरकार द्वारा वर्ष 2013 में नगर निगम, रोहतक की 34 कालोनियों को नियमित किया गया था। सदन में सदस्यों द्वारा अनुरोध किया गया कि इन 34 कालोनियों मे छूटा हुआ अनाधिकृत क्षेत्र, इन कालोनियों के बाहर बाद मे विकसित अनाधिकृत क्षेत्र व इनके अतिरिक्त अन्य अनियमित कालोनियों का सर्वे वर्तमान स्थिति के अनुसार करवाकर सरकार को स्वीकृति हेतु भेजा जायें। सदन में सदस्यों ने यह भी अनुरोध किया कि नगर निगम में शामिल ग्रामीण क्षेत्रों के लालडोरे के बाहर फिरनी तक व उसके बाहर भी विकसित कालोनियां का भी सर्वे करवाया जाये तथा उन्हे नियमित किया जायें। सर्व सम्मति से उक्त प्रस्तावना स्वीकार की जाती है।

20. नगर निगम क्षेत्र में निम्न सडको को वणिज्यिक घोषित करने बारेः-

Sr. No.	Name of Colony/Road	From	Via	To	Old or extended limit
1	Bharat colony Both side	Shilla bye pass	Bala ji Misthan Bhandar	Outer Model Town Road	Old limit
2	Model Town road only western side	Main Delhi road	Tikona Park	Arya Samaj Mandir	Old limit
3	Main Kishan Pura Road Both side	Sonepat road	Kishan Pura Chopal	Northern bye pass	Old limit
4	Main Durga colony Both side	Sonepat stand (Bansilal Gupta Left side, Rajendra Ready ment Garments right side)	Bala ji Misthan Bhandar	Main Jail Road (D.N.City School)	Old M.C. Limit
5	D.L.F. /Jagdish colony Both side	Irrigation office	Arya nagar chowk	Shiksha Bharti School	Old limit
6	D.L.F. colony road Both side	Labour chowk	D.A.V. School	Rest house road Jagdamba Jyotish kender	Old limit
7	J.P. colony 33' wide road Both side	Main Hissar road	Tej Public school	Railway line	Old limit
8	Rahad road Both side	Dayanand Math chowk	Sainipura Chaman pura	Prem nagar Chowk	Old limit
9	Old Sabji Mandi road Both side	N.H. 10	Old Sabji Mandi	Babra chowk	Old limit
10	Viney nagar Both side	N.H. 10	Hari Bhumi Office	Northern bye pass (lochab motors)	Extended
11	HUDA complex Eastern western Both side road	Main Delhi road		Back side of HUDA complex	Old limit
12	Saini School road	Saini School	Kirpal nagar	N. Bye pass	Extended

रोहतक शहर में वर्तमान वणिज्यिक सडकों के अतिरिक्त योजना शाखा द्वारा प्रस्तावित निम्न सडको को वाणिज्यिक घोषित किया जाता है। तदानुसार केस सरकार को भेज दिया जायेः-

Sr. No.	Name of Colony/Road	From	Via	To	Old or extended limit
1	Bharat colony Both side	Shilla bye pass	Bala ji Misthan Bhandar	Outer Model Town Road	Old limit
2	Model Town road only western side	Main Delhi road	Tikona Park	Arya Samaj Mandir	Old limit
3	Main Kishan Pura Road Both side	Sonepat road	Kishan Pura Chopal	Northern bye pass	Old limit
4	Main Durga colony Both side	Sonepat stand (Bansilal Gupta Left side, Rajendra Ready ment Garments right side)	Bala ji Misthan Bhandar	Main Jail Road (D.N.City School)	Old M.C. Limit
5	D.L.F. /Jagdish colony Both side	Irrigation office	Arya nagar chowk	Shiksha Bharti School	Old limit
6	D.L.F. colony road Both side	Labour chowk	D.A.V. School	Rest house road Jagdamba Jyotish kender	Old limit
7	J.P. colony 33' wide road Both side	Main Hissar road	Tej Public school	Railway line	Old limit
8	Rahad road Both side	Dayanand Math chowk	Sainipura Chaman pura	Prem nagar Chowk	Old limit
9	Old Sabji Mandi road Both side	N.H. 10	Old Sabji Mandi	Babra chowk	Old limit
10	Viney nagar Both side	N.H. 10	Hari Bhumi Office	Northern bye pass (lochab motors)	Extended
11	HUDA complex Eastern western Both side road	Main Delhi road		Back side of HUDA complex	Old limit
12	Saini School road Both side	Saini School	Kirpal nagar	N. Bye pass	Extended
13	Northern bye pass Both side	Hissar road Bye pass chowk	Rangi Motors	Jind Railway line	Extended

	Both side				
13	N. bye pass Both side	Hissar road Bye pass chowk	Rangi Motors	Jind Railway line	Extended
14	N. bye pass both side except unregulated area	Jind Railway line	Gaushala	Jind chowk	Extended
15	N. bye pass Both side	Sukhpura chowk	New bus stand	Sheela by pass chowk	Extended
16	N.bye pass western side	Sky Hawk	Parbhat vatika	Rajiv chowk	Extended
17	Ekta colony road	Kanheli road	Bittu Kiryana store	Up to Gali peer wali	Extended
18	Shastri nagar	N.H. 10	Saw mill wali gali	Dharamshalla	Extended
19	Shiv colony Eastern side	Bhiwani road	S.K. Property	Bhiwani Railway line	Extended
20	Circular road Eastern side	Delhi railway line	Shivaji colony chowk	Jhajjar chowk	Extended
21	Circular road southern side	Jhajjar chowk	Except Devi Vihar	Eastern corner of Old Sugar mill farm	Extended
22	Circular road western side	Sullage career	Bhiwani chowk	Hissar road	Extended
23	H.B. Road Both side	Shivaji colony chowk	E.S.I. Dispensary	Housing Board colony	Extended
24	Pir ji Mohalla road Both side	Shori Cloth Mkt chowk		Jain Building	Old limit
25	Mal Godam road Both side	Opp. Mosque		Shori market	Old limit
26	Ladhot road Both side	Gohana road	Sukhpura, Jat chopal	Telephone Godam	Extended limit
27	Beri road	Sunaria chowk	Balti factory	Gas godam	Extended

14	Northern bye pass both side except unregulated area	Jind Railway line	Gaushala	Jind chowk	Extended
15	Northern bye pass Both side	Sukhpura chowk	New bus stand	Sheela by pass chowk	Extended
16	Northern bye pass western side	Sky Hawk	Parbhat vatika	Rajiv chowk	Extended
17	Ekta colony road	Kanheli road	Bittu Kiryana store	Up to Gali peer wali	Extended
18	Shastri nagar	N.H. 10	Saw mill wali gali	Dharamshalla	Extended
19	Shiv colony Eastern side	Bhiwani road	S.K. Property	Bhiwani Railway line	Extended
20	Circular road Eastern side	Delhi railway line	Shivaji colony chowk	Jhajjar chowk	Extended
21	Circular road southern side	Jhajjar chowk	Except Devi Vihar	Eastern corner of Old Sugar mill farm	Extended
22	Circular road western side	Sullage career	Bhiwani chowk	Hissar road	Extended
23	Housing Board Road Both side	Shivaji colony chowk	E.S.I. Dispensary	Housing Board colony	Extended
24	Pir ji Mohalla road Both side	Shori Cloth Mkt chowk		Jain Building	Old limit
25	Mal Godam road Both side	Opp. Mosque		Shori market	Old limit
26	Ladhot road Both side	Gohana road	Sukhpura, Jat chopal	Telephone Godam	Extended limit
27	Beri road	Sunaria chowk	Balti factory	Gas godam	Extended

21.	अप्पूघर को विकसित करने करने बारे।	वर्तमान अप्पूघर स्थल को Town Vending Committee की प्रस्तावना अनुसार व्यवसायिक प्रयोग के लिए वैंडिग जोन के रूप में विकसित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
22.	टैगोर सांस्कृतिक परिसर विकसित करने बारें	मुख्य प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने पत्र क्रमांक CTP/STP(M)/700 दिनांक 13.1.2014 द्वारा नगर निगम, रोहतक को टैगोर सांस्कृतिक परिसर विकसित करने हेतू सैक्टर 31 में 5 एकड भूमि स्थानान्तरण आधार पर आवंटित की है। इस बारें 50.07 करोड रूपये की परियोजना तैयार की गई है। इस परियोजना में 30.04 करोड़ रूपया भारत सरकार द्वारा तथा शेष 20.03 करोड़ रूपया नगर निगम द्वारा वहन किया जायेगा। सदन ने सर्वसम्मति से इस राशी को राज्य सरकार से लेने का अनुरोध करने तथा राज्य सरकार से न मिलने की अवस्था में नगर निगम फंड से वहन करने की स्वीकृति प्रदान की

		जाती है।
23.	निगम पुस्तकालय एवं मीडिया सैन्टर स्थापित करने बारे।	नगर निगम की सैनी स्कूल रोड पर आकाशवाणी भवन के सामने 3 एकड 6 कैनाल व 11 मरले भूमि है। इस भूमि मे से 660 वर्गगज भूमि पर आधुनिक निगम पुस्तकालय एवं मीडिया सैन्टर स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसका निर्माण नगर निगम द्वारा अपने फण्ड से किया जायेगा।
24.	हुडडा सेक्टर 31 में नगर निगम का कार्यालय स्थापित करने बारे।	हरियाणा विकास प्राधिकरण रोहतक द्वारा सेक्टर 31 में नगर निगम कार्यालय के निर्माण हेतू 11 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। इस स्थल पर नगर निगम कार्यालय निर्माण तथा भूमि आवंटन पर आने वाले खर्च की नगर निगम फंड से अदायगी की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
25.	नगर निगम कर्मचारियों के लिए रिहायशी भवन/फ्लैट्स बनाने बारे।	वर्तमान में इस भूमि पर बाल भवन, रैडक्रास ट्रैनिंग सैन्टर, रैडक्रास के कर्मचारियों के क्वार्टर, प्राथमिक स्कूल, SSA कार्यालय बने हुए है। इसमें प्राथमिक स्कूल व SSA कार्यालय के ब्लाक में एक खण्डर स्टोर भी है। इस भूमि पर स्थित स्टोर को तोडकर व प्राथमिक स्कूल के खण्ड को अलग करके 4059 वर्गगज भूमि मौके पर खाली है। इस 4059 वर्गगज भूमि पर नगर निगम के अधिकारियों व कर्मचारियों के लिये ट्रांजिट फलैट्स बनाने की सदन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।
26.	गांव बलियाणा में 205 व्यक्तियों को 100-100 वर्ग गज के प्लाट आवंटन ।	नगर निगम द्वारा गांव बलियाणा में पंचायत विभाग द्वारा चिन्हित 244 व्यक्तियों में से तहसीलदार सांपला की जांच अनुसार पाये 205 योग्य व्यक्तियों को सरकार की हिदायतानुसार प्लाट आवंटित किए गए है। इन 205 व्यक्तियों के नाम आवंटित प्लाटो की रजिस्ट्री करवाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
27.	बोहर व सुनारियां में 100-100 वर्ग गज के प्लाट का आवंटन ।	गांव बोहर व सुनारीयां में पंचायत विभाग द्वारा चिन्हित व्यक्तियों की तहसीलदार रोहतक की जांच अनुसार योग्य पाये गये व्यक्तियों को सरकार की हिदायतानुसार प्लाट आवंटित किए जाने है। सदन द्वारा इन व्यक्तियों को प्लाट आवंटित करने व रजिस्ट्री करवाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
28.	नगर निगम क्षेत्र में Sulabh International Organisation के माध्यम से आवश्यकतानुसार सार्वजनिक शौचालय बनवाने बारे।	सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो पर सुलभ इन्टरनैशनल को बिना टैण्डर के नगर निगम, रोहतक के क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर उनकी प्रस्तावना दिनांक. 18.02.2014 अनुसार सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण एवं रख-रखाव के लिए देने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस कार्य पर आने वाले खर्च को निगम फण्ड से वहन किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है।
29.	नगर निगम में नए पदों के सृजन बारे।	सरकार के पत्र क्रमांक 18/7/2010-3CI दिनांक 07.03.2011, पत्र क्रमांक 19/24/2009-6क 1 दिनांक 4/5.07.2012 तथा पत्र क्रमांक 18/69/2012-3CI दिनांक 02.05.2013 द्वारा सृजित पदो के अतिरिक्त नगर निगम का कार्य सुचारू रूप से चलाने हेतू आवश्यक पदो को सृजित करने हेतू केस सरकार को भेजने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। इन पदों पर आने वाले खर्च को निगम फण्ड से वहन किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है।
30.	नगर निगम, गुडगांव व फरीदाबाद की भांति जनस्वास्थ्य विभाग को नगर निगम, रोहतक को	सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर निगम गुड़गांव व फरीदाबाद की भांति जन-स्वास्थय यांन्त्रिकी विभाग

	पानी तथा सीवर व्यवस्था हस्तांतरण करवाने बारे।	से सीवर एवं जल आपूर्ति का कार्य लेकर नगर निगम रोहतक के अतंर्गत हस्तानांतरण करने बारे हरियाणा सरकार को केस भेजा जायें। इस कार्य हेतु एक अधीक्षण अभियन्ता तथा दो कार्यकारी अभियन्ता, चार सहायक अभियन्ता तथा 12 कनिष्ठ अभियन्ताओं, एक सर्कल हैड ड्राफ्टसमैन, 02 ड्राफ्टसमैन, 03 अधीक्षक, 03 सहायक, 07 कम्पयूटर क्लर्क, 14 सेवादार, 03 ड्राईवर के पद स्वीकृत करवाये जायें । इन पदों पर आने वाले खर्च को निगम फण्ड से वहन किये जाने की भी स्वीकृति प्रदान की जाती है।
31.	माननीय संसद सदस्य, रोहतक ने सलारा मौहल्ला में कुम्हार धर्मशाला के नजदीक नया प्राथमिक स्कूल खोलने की घोषणा की है। नये प्राथमिक विधालय के लिए आधा एकड यानि 4-0 कनाल भूमि जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मांग की गई है नगर निगम की भूमि खसरा नं0 6807, 6808 कुल रकबा 9 कनाल 15 मरले में से 4-0 कनाल भूमि प्राथमिक स्कूल खोलने के लिए हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 164 के तहत Free of Cost देने का प्रावधान नही है। केस सदन में आदेशार्थ प्रस्तुत है।	स्वीकार है।
32.	श्रीमति मधुबाला, रमेश कुमार, किशोरी जी प्रोपर्टी एवं ज्वैलर्स प्रा0लि0 व सुभाषचन्द्र द्वारा मौहल्ला सराय स्थित भिवानी स्टैण्ड, किला रोड के सामने दो भवनों निर्माण के मध्य नगर निगम की दो गलियां स्थित है। प्रार्थीगण इन गलियों को नगर निगम से खरीदना चाहतें है। यह दोनो गलियां इन्ही के मकान तक बन्द है। इस भूमि के रेट तहसीलदार, रोहतक से लिए गये है। इस भूमि के क्लैक्टर रेट 93750/- रू0 प्रति वर्गगज तथा बाजारी कीमत 1.80 लाख रू0 प्रति वर्गगज है। यदि हाऊस इससे सहमत हो तो यह केस सरकार हेतु भेज दिया जाये। केस सदन में आदेशार्थ प्रस्तुत है।	स्वीकार है। बाजारी भाव पर बेचने हेतु सरकार को केस भेजा जायें।
33.	एजेंडा में वर्णित सभी बिन्दूओं पर चर्चा उपरांत अध्यक्ष महोद्या की अनुमति से निम्नलिखित मदो को प्रस्तुत किया गयाः- (i)पार्षद वार्ड नं0-9 ने अवगत करवाया कि विनय नगर में घरों के ऊपर से बिजली विभाग की High Tension लाईन गई हुई है। पूर्व में इनके कारण कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी है। हाल ही में इनके कारण एक व्यक्ति बुरी तरह झुलस गया है। अतः इनको रिहायशी क्षेत्र से बिजली विभाग के खर्च पर ही शिफ्ट करवाया जाए क्योकि बिजली विभाग इनकों शिफ्ट करवाने हेतु चार्जिज की मांग करता है। (ii)पार्षदा वार्ड नं0-11 ने स्ट्रीट लाईट शिकायत हेतू कम्प्यूटराईजड शिकायत केन्द्र खोलने बारें अनुरोध किया।	(i)सर्वसम्मति से पारित किया कि जनहित एवं जन सुरक्षा के मध्यनजर नगर निगम, रोहतक के सभी रिहायशी क्षेत्रों में से गुजरने वाली High Tension लाईन को बिजली निगम के अपने खर्च पर ही शिफ्ट करवाने बारे सरकार को लिखा जाये। (ii)सहायक अभियंता (बिजली) ने बताया कि दिनांक 11/11/2013 की बैठक में स्ट्रीट लाईट की शिकायतों हेतु वाईस रिकार्डर सहित कम्प्यूटराईजड को शिकायत केन्द्र खोलने हेतु प्रस्ताव पास किया गया था। परन्तु ठेकेदार द्वारा इस प्रकार के शिकायत केन्द्र खोलने मे अपनी असमर्थता जाहिर की है। सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नगर निगम द्वारा अपने खर्च पर वाईस रिकार्डर सहित

		कम्प्यूटराईज्ड शिकायत केन्द्र खोला जाए।
	(iii)वार्ड नं0 18 की पार्षदा ने अवगत करवाया कि शहर में विभिन्न कालोनियों में लोहे के बिजली के खम्बों के कारण करन्ट लगने की सम्भावना बनी रहती है। झज्जर रोड पर स्थित जे.एल.एन. नहर के अन्दर बिजली के खम्बों को तुरन्त शिफ्ट करवाया जाए।	(iii)कार्यकारी अभियन्ता, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम ने आश्वासन दिया कि लोहे के खंबों को अतिशीघ्र हटवा दिया जायेगा।
	(iv)राजीव गांधी आवास योजना के अर्न्तगत मकान बनाने के लिए लोन उपलब्ध करवाने बारे।	(iv)दोनों कार्यकारी अभियन्ता राजीव गांधी आवास योजना के अर्न्तगत मकान बनाने के लिए अनुदान राशि के चैंक दिनांक 25.02.2014 को गांवों में मौके पर वितरित करवाना सुनिश्चित करें।
	(v)जीन्द रोड शमशान घाट से कब्जे हटवाने बारें।	(v)नायब तहसीलदार एवं भू-अधिकारी को जीन्द रोड पर स्थित शमशान भूमि की पैमाईश करवाकर अवैध कब्जे हटवाने के निर्देश दिए।
	(vi)जनता कालोनी में 800-900 वर्गगज भूमि पर पार्क विकसित करवाने बारें।	(vi)इस भूमि की नगर निगम के नाम गिफ्ट डीड करवाने उपरांत ही पार्क विकसित किया जाना संभव है। पार्षद वार्ड नं0 16 ने उक्त कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया।
	(vii)वार्ड नं0 2 की पार्षदा द्वारा कचरा उठाने की रेहडी की मांग बारे।	(vii)कचरा उठाने की रेहडियां खरीद उपरांत आवश्यकतानुसार सभी वार्डो में उपलब्ध करवाई जायेंगी।
	(viii)वार्ड नं0 3 मे स्थित शोरा कोठी में जलापूर्ति की समस्या बारे।	(viii)कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग ने बताया कि समस्या बारे उचित कार्रवाई की जायेगी।
	(ix)वार्ड नं0 04 में प्रवेश नगर व तेज कालोनी में लम्बित विकास कार्य करवाने एवं वार्ड में आवश्यकतानुसार सफाई कर्मचारी उपलब्ध करवाने बारें।	(ix)कार्यकारी अभियन्ता-। ने बताया कि प्रवेश नगर व तेज कालोनी मे विकास कार्यो बारे अनुमान तैयार किये जा रहे है। सरकार से नये पदों की स्वीकृति आने उपरांत सभी वार्डो में आवश्यकतानुसार जनसंख्या एवं भवनों के अनुपात में समुचित संख्या में सफाई कर्मचारी उपलब्ध करवाये जायेगें। यह स्वीकृति फरवरी माह में ही आनी संभावित है।
	(x)सुखपुरा चौक से मिल्क प्लांट तक आने वाली कालोनियों की सडको की मुरम्मत बारे।	(x)कार्यकारी अभियंता-। ने बताया कि सुखपुरा चौक से मिल्क प्लांट तक आने वाली कालोनियों में सडको की मुरम्मत के लिए टैण्डर आमंत्रित किये जा रहे है।
	(xi)वार्ड नं0 05 लाढोत रोड के दोनो साईडों में नाले बनवाने बारे।	(xi)इस सन्दर्भ में अधीक्षक अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन व सडकें) को अनुमान तैयार करवाने हेतु लिखा जायें।
	(xii)ऋषि नगर, बसन्त विहार, कैलाश कालोनी आदि की गलियों की मुरम्मत बारें।	(xii)कार्यकारी अभियंता-। नगर निगम ने बताया कि इस कार्य हेतु एक टैण्डर लगाया जा चुका है तथा शेष कार्य के लिए भी शीघ्र कार्रवाई की जायेगी।

	(xiii)वार्ड नं0 06 में विशाल नगर, कबीर कालोनी, बसन्त विहार, इन्द्रप्रस्थ कालोनी तथा पंचवटी कालोनी की रोड सीवर एवं जलापूर्ति की समस्याओं का निदान करने बारे।	(xiii)विशाल नगर एवं कबीर कालोनी की समस्यों बारें 07 दिन के अन्दर टैण्डर आमन्त्रित करने का निर्णय लिया गया। बसन्त विहार कालोनी के लिए पांच लाख एवं ढाई लाख के दो अनुमान तैयार किए जा चुके है। इन्द्रप्रस्थ कालोनी की गली को तारकोल वाली गली ही बनाने का निर्णय लिया गया। पंचवटी कालोनी के बारें में कार्यकारी अभियंता-। को शीघ्र मौका देखकर समस्या के समाधान के निर्देश दिये गए। जनस्वास्थय यान्त्रिकी विभाग सीवर तथा जला आपूर्ति सम्बन्धित समस्याओं का मौका देखकर निदान करना सुनिश्चित करें।
	(xiv)वार्ड नं0 07 बोहर गांव में पार्क विकसित करने बारे तथा बैंकट हाल द्वारा उत्पन्न पार्किंग की समस्या को दूर करने बारें।	(xiv)बोहर गांव में पार्क की मलकियत को नगर निगम के नाम करवाने तथा विकसित करने के निर्देश दिये। बैंकट हाल द्वारा पार्किंग समस्या उत्पन्न करने के कारण नोटिस देने का निर्णय लिया गया।
	(xv)वार्ड नं0 08 में खेडी साध बस स्टैण्ड के पास तालाब की रिटेनिंग वाल एवं गली बनाने बारे।	(xv)खेडी साध बस स्टैंड के पास तालाब की रिटेनिंग वाल एवं गली बनाने का अनुमान तैयार करके जल्द से जल्द कार्य आरंभ करवाया जायें।
	(xvi)कन्हेली गांव के तालाब से गंदा पानी निकलवाने बारे।	(xvi)कार्यकारी अभियन्ता-।। को कन्हेली गांव के तालाब से गंदा पानी निकवाकर रजवाहे से ताजा पानी भरवाने की कार्रवाई की जायें।
	(xvii)वार्ड नं0 11, चिन्योट कालोनी में पुराने पार्क का सौन्दर्यकरण करने बारें।	(xvii)चिन्योट कालोनी के पुराने पार्क के सौन्दर्यकरण करने के लिए कार्यकारी अभियंता-।। को निर्देश दिये गये।
	(xviii)घनीपुरा रोड में पानी व सडको पर गड्ढे की समस्या बारे।	(xviii)घनीपुरा में पानी के गड्ढे की समस्या को जनस्वास्थ यान्त्रिकी विभाग द्वारा ठीक करवाया जायेगा व गली नगर निगम, रोहतक द्वारा बनवाई जायेगी।
	(xix)बैंक कालोनी की सीवर समस्या एवं आर्यनगर की जलापूर्ति की समस्या बारें।	(xix)बैंक कालोनी की सीवर समस्या बारे कार्यकारी अभियंता जन स्वास्थ्य विभाग को स्थल- निरीक्षण उपरांत समस्याओं को हल करने के निर्देश दिये गयें।
	(xx)सुभाष नगर की गली बनाने बारें।	(xx)सुभाष नगर में सीवर एवं जलापूर्ति उपलब्ध हैं। अतः नगर निगम आवश्यकतानुसार गलिया बनवाने की कार्रवाई करें।
	(xxi)वार्ड नं0 13 में भगत सिंह कालोनी में पार्क व कम्यूनिटी सैन्टर बनाने बारे।	(xxi)सर्व सम्मति से पारित किया गया कि भगत सिंह कालोनी में उपलब्ध सार्वजनिक जोहड की भराई उपरांत पार्क व कम्यूनिटी सैन्टर निर्माण करने की कार्रवाई की जायें।
	(xxii)वार्ड नं0 14 के सीवरो के विस्तार करने बारे।	(xxii)दिनांक 31.01.2014 की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग को तीन दिन के अन्दर सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।
	(xxiii)पाडा मोहल्ला में इन्टरलोकिंग एवं किला मोहल्ला में रूके हुए कार्य को प्रारम्भ करवाने बारे।	(xxiii)पाडा मोहल्ला में इन्टरलोकिंग टाईल्स एवं किला मोहल्ला में रूके हुए कार्य को एक-2 करके तुरन्त शुरू करवाने के निर्देश दिये गये।

	(xxiv)वार्ड नं 14 के तीन महीने से लम्बित पडे अनुमानों पर कार्रवाई बारे।	(xxiv)वार्ड नं 14 के लम्बित अनुमानों बारे कार्यकारी अभियंता-।। को तुरन्त चैक करवाकर कार्य प्रारम्भ करवाने के निर्देश दिये गये।
	(xxv)वार्ड नं0 15 पार्षद द्वारा दी गई कार्यो की सूचि पर कार्रवाई बारे।	(xxv)वार्ड नं0 15 के पार्षद द्वारा दी गई कार्यो की सूचि तुरन्त संबधित अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करने हेतु भेजने के नोडल अधिकारी को निर्देश दियें।
	(xxvi)वार्ड नं0 16 की राजेन्द्रा कालोनी की बिजली की तारें एवं कुताना बस्ती में लकडी के खंभे बदलवाने बारें।	(xxvi)राजेन्द्रा कालोनी की 40 साल पुरानी खुली तारो के स्थान पर भूमिगत केबल एवं कुताना बस्ती में लकडी के खंभों के स्थान पर सिमेंट के खंभे लगवाने हेतु कार्यकारी अभियंता, उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम को निर्देश दिये गये।
	(xxvii)वार्ड नं0 16 में रिलाईंस कंपनी द्वारा भूमिगत केबल डालते समय जलापूर्ति एवं सीवर लाईन बाधित करने बारे।	(xxvii) सर्व सम्मति से रिलाईंस कंपनी द्वारा किये जा रहे कार्य को तुरन्त रोकने एवं क्षति पूर्ति बार नोटिस देने का निर्णय लिया गया।
	(xxviii)शिव नगर, राजेन्द्र नगर तथा न्यू राजेन्द्र नगर में सडक निर्माण करवाने बारे।	(xxviii)इन कालोनियों में नई सडकों के निर्माण हेतु सर्वे करवाने का निर्णय लिया गया।
	(xxix)एकता कालोनी की सीवर लाईन की मुरम्मत बारें।	(xxix) एकता कालोनी की सीवर लाईन की मुरम्मत बारे कार्यकारी अभियंता, जनस्वास्थ्य यान्त्रिकी विभाग को निर्देश दिये गये।
	(xxx)शिवाजी कालोनी व चावला कालोनी की नाली रिपेयर करवाने बारे।	(xxx)कार्यकारी अभियंता-।। ने बताया कि कार्य हेतू अनुमान तैयार है। कार्य जल्द ही शुरू किया जायेगा।
	(xxxi)टेक नगर कुम्हारों वाली गली में सीवर व पानी की लाईन बारें।	(xxxi)टेक नगर कुम्हारों वाली गली में सीवर व पानी की लाईन बारें कार्यकारी अभियंता, जन स्वास्थय यान्त्रिकी विभाग को उचित कार्रवाई के निर्देश दिये गयें।
	(xxxii)वार्ड नं0 18 में पार्को के सौन्दर्यकरण बारें।	(xxxii)कार्यकारी अभियंता-।। ने बताया कि इस वार्ड के 6-7 पार्कों के सौन्दर्यकरण के हेतू दिनांक 21.02.2014 तक अनुमान प्रस्तुत कर दिये जायेंगें।
	(xxxiii)वार्ड न0 19 के पार्षद द्वारा शीतल नगर एवं न्यू-विजय नगर की गलियों की मुरम्मत बारे।	(xxxiii)शीतल नगर एवं न्यू-विजय नगर की गलियों की मुरम्मत के कार्य राजीव आवास योजना द्वितीय चरण के अर्तगत है।
	(xxxiv)वार्ड नं0 20 में सुनारियां चौक पर संत नामदेव बोर्ड की दिशा परिवर्तन बारे।	(xxxiv)वार्ड नं0 20 में सुनारियां चौक पर संत नामदेव बोर्ड की दिशा परिवर्तन को स्वीकार किया गया।
	(xxxv)ब्रिगेडियर मुक्तराम मार्ग का बोर्ड बदलवाने बारें।	(xxxv)कार्यकारी अभियन्ता-।। को नया बोर्ड लगवाने के आदेश दियें।
	(xxxvi)श्रीरामनगर के तालाब एवं शमशान भूमि की चार दिवारी बारे।	(xxxvi)श्रीरामनगर के तालाब एवं शमशान भूमि की चार दिवारी के लिए सरकार को केस भेजा जा चुका है।
	(xxxvii)सुनारियां गांव में स्टेडियम बनाने बारे।	(xxxvii)सुनारियां गांव में स्टेडियम स्थापित करने के लिए स्थल का निरीक्षण किया जा चुका है तथा उचित कार्रवाई की जा रही है।

आयुक्त नगर निगम रोहतक ने सभी उपस्थित पार्षदों को अनुरोध किया कि नगर निगम तथा अन्य विभागों से सम्बन्धित सभी प्रकार की समस्याओं/शिकायतों/सुझावों को लिखित रूप में क्षेत्रीय कराधान अधिकारी-कम- नोडल आफिसर को दे ताकि उनका जल्द से जल्द निपटान/निदान करवाया जा सके। आयुक्त नगर निगम रोहतक ने क्षेत्रीय कराधान अधिकारी-कम- नोडल आफिसर को निर्देश दिये कि पार्षदों से लिखित रूप में प्राप्त समस्याओं/शिकायतों/सुझावों को संबधित विभागों को भिजवायें तथा रिपोर्ट लेकर पार्षदों को भी सूचित करें।

इसके उपरांत मेयर, नगर निगम द्वारा सभी उपस्थित पार्षदों तथा अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।

दिनांक:

क्रमांक MCR/NT/2013/ 0126 - 0131

दिनांक:

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित है:-

1. श्री दीपेन्द्र सिहं हुड्डा, सांसद, रोहतक लोक सभा क्षेत्र।
2. श्री शादी लाल बत्तरा, राज्य सभा सदस्य।
3. श्री भूपेन्द्र सिहं हुड्डा, विधान सभा सदस्य, गढी-सांपला किलोई।
4. श्री भारत भूषण बत्तरा, विधान सभा सदस्य, रोहतक।
5. श्रीमती शकुन्तला खटक, विधान सभा सदस्य, कलानौर।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक MCR/NT/2013/ 0132 - 0137

दिनांक:

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित है:-

1. प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़।
2. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, चण्डीगढ़।
3. उपायुक्त, रोहतक।
4. सभी पार्षदगण, नगरनिगम, रोहतक।
5. सभी विभागाध्यक्ष, नगर निगम, रोहतक।
6. निजि सहायक, आयुक्त को आयुक्त, नगर निगम रोहतक के सूचनार्थ।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।